# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय गोयल आर.ए.एस.

राजस्व दावा सं0:–17/2015

1. भूरीसिंह पुत्र ताराचन्द
2. मु. शारदा देवी पत्नि स्व. नत्था सिंह
3. डिगम्बर सिंह
4. प्रेम
5. अशोक कुमार

पिसरान नत्थासिंह

6. मनोहर उर्फ मनोज कुमार
7. हेमलता पुत्री नत्था सिंह

समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

.....वादीगण

## बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर (राज.)।

.....प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

दिनांक :– 10.02.2020

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 19.01.2015 को इस आशय का पेश किया कि हाल आ0ख0नं0 1339 रकबा 12 ऐयर 1340 रकबा 66 ऐयर किता 2 कुल रकबा 78 ऐयर बाके ग्राम गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें वादी

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

1/5 हिस्सा का गैर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त ख.नं. साविक ख.नं. 878 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा से बना है। उक्त आराजी वादी के पूर्वज बाबा मंगला पुत्र तुलसी जाति चमार के कब्जे काश्त व खातेदारी का रकबा है। मंगला के वारिसान में 6 पुत्र सोहनलाल, सोनी, ताराचन्द, बाबूलाल, रामफल, दुलीचन्द थे। जिनमें से बाबूलाल की मृत्यु लाबल्द विला औरत हो चुकी है। इस प्रकार उसके 5 वारिस रहें जिनमें ताराचन्द के वारिसान में वादी एकमात्र जीवित वारिस हैं। इस प्रकार वादी उपरोक्त आराजी में 1/5 हिस्सा का हिस्सेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं अन्य पुत्रगण सोहन लाल, सोनी, रामफल, दुलीचन्द के वारिसान के नाम 4/5 हिस्सा के इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं अन्य पुत्रगण सोहन लाल, सोनी, रामफल, दुलीचन्द के वारिसान के 4/5 हिस्सा के इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जिनसे कोई दादरसी नहीं चाही गयी है। इसलिए उनको फरीक मुकदमा नहीं बनाया गया है। वाद पत्र को समक्षने के लिये सजरा निम्न प्रकार है –

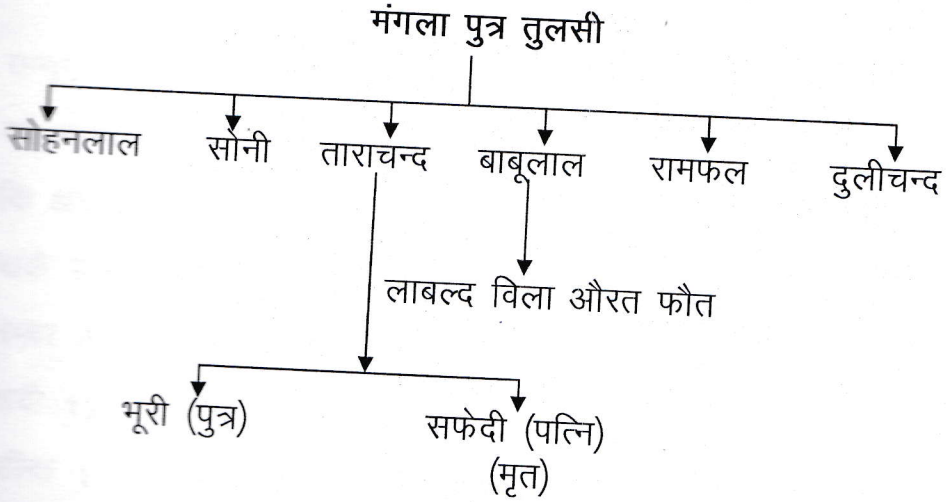


वादी के पूर्वज मंगला पुत्र तुलसी उक्त आराजी पर आरटी. एक्ट के लागू होने के पूर्व से ही वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार के इन्द्राजात सम्वत्

भरतपुर

2011 की जमाबन्दी खाता नं. 213 के साविक ख.नं. 878 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा पर मंगला पुत्र तुलसी जाति चमार साकिन देह मौरूसी अंकित है। उनकी मृत्यु के उपरान्त सम्वत् 2019 लगा. 2027 तक की जमाबन्दी में मंगला के सभी वारिसों के नाम इन्द्राजात दर्ज है। ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों को वादी को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था। वादी को इन गलत इन्द्राजात की जानकारी नहीं थी। वादी ने पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारे नाम गैर खातेदारी के इन्द्राजात दर्ज है।

अतः प्रार्थना है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1339 रकबा 12 ऐयर व 1340 रकबा 0.66 ऐयर किता 2 रकबा 78 ऐयर बाके ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर पर वादी के नाम 1/5 हिस्सा पर हो रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जरिये सम्मनों से की गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 7 ने दिनांक 06.03.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि आ0ख0नं0 1339/0.12, 1340/0.66 किता 2 कुल रकबा 78 ऐयर बाके ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर में स्थित होना व साविक खसरा नम्बर 878 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा से बनना स्वीकार है परन्तु उसमें वादी 1/2 हिस्सा का गैर खातेदार काश्तकार होना स्वीकार नहीं है। बल्कि 1/10 हिस्से का गैर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी एवं शेष 1/10 हिस्से पर हम प्रतिवादीगण गैर खातेदार से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विवादित आराजी स्व. बाबा मंगला पुत्र तुलसी जाति चमार के कब्जे काश्त व खातेदारी का रकबा है। जिसमें ताराचंद के वारिसान में दो पुत्र भूरीसिंह एवं नत्थासिंह थे तथा पत्नि सफेदी थी

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

जिसमें से सफेदी का स्वर्गवास होने के कारण एवं ताराचंद के वारिसान में दो पुत्र भूरी एवं नत्थासिंह वारिस शेष रहे जिसमें से भी नत्थासिंह के स्वर्गवास के पश्चात हम प्रतिवादीगण को विरासत अधिकार प्राप्त हुये हैं। जिसका दाखिल खारिज भी तहसीलदार (भू.अभि.) भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.12.2015 के आधार पर राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में दर्ज किया जा चुका है। प्रतिवादीगण भी पूर्वज मंगला के वारिस होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विवादित आराजी पर वादी केवल 1/10 हिस्से पर ही खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा 1/10 हिस्से पर हम प्रतिवादीगण पूर्वजों के जमाने से काबिज खातेदार काश्तकार होने के कारण गैरखातेदार से स्थान पर खातेदार की घोषणा करा पाने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना है कि जबाव दावा नय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर हम प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 7 को आराजी खसरा नम्बर 1339/0.12, 1340/0.66 कुल रकबा 78 ऐयर बाके ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर में 1/10 हिस्से गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

उभयपक्षों के अभिभाषाकों की उपस्थिति में दिनांक 28.03.19 को निम्न तनकी कायम की गई –

1. आया वादी विवादित आराजी के 1/5 हिस्से पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है ?

.....वादी

2. आया प्रति. सं. 2 लगा. 7 विवादित आराजी पर 1/10 हिस्से पर गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है ?

.....प्रतिवादी

3. दादरसी ?

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 7 ने दिनांक 24.06.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश–1 नियम 10 व संपठित आदेश 23 नियम–1(अ) जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं वादी के हित समान हैं। वादी एवं प्रार्थीगण दोनों ही 1/5 – 1/5 हिस्सा के गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। इसलिए प्रार्थीगण को बतौर वादी पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थना पत्र सुनकर दिनांक 24.06.2019 को स्वीकार किया गया है।

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संख्या 2071–74 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संख्या 2011–14 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संख्या 2020–23 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संख्या 2024–27 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संख्या 2029–32 प्रदर्श–6, नकल खसरा गिरदावरी संख्या 2012–15 प्रदर्श–7, नकल निर्णय दिनांक 30.07.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर प्रदर्श–8 पेश की। मौखिक साक्ष्य में शपथपत्र पर बयान शारदा देवी पीडब्ल्यू–1, ओमप्रकाश पीडब्ल्यू–2 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की। प्रतिवादी द्वारा अपनी कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

उभयपक्षकारान के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा अपने दावे के कथनों को बहस में दोहराते हुये तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2017 (1) पृष्ठ 63 व भरतपुर रेवन्यु कोड 1905 की धारा 53 में मौरूसी कृषक की परिभाषा को उदग्रहित करते हुये दावे को स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी वाइज निर्णय की विवेचना निम्न प्रकार है –

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

तनकी संख्या : 1– नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत आ.ख.नं. 878 मि. रकबा 5 बीघा 4 विस्वा से हाल आ.ख.नं. 1339/0.12 एवं 1340/0.66 है. किता 2 कुल रकबा 0.78 है. बनाये गये हैं। नकल जमाबन्दी संख्या 2011–14 के मुताबिक आ.ख.नं. 878/5.4 बीघा पर मंगल पुत्र हुकमी कौम चमार साकिन देह मौरूसी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संख्या 2019 के मुताबिक आ.ख.नं. 878/5.04 बीघा सोहनलाल, सोनी, ताराचन्द, बाबूलाल, रामफल व दुलीचन्द पिसरान मंगल व हिस्सा बराबर कौम जाटव सा. देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संख्या 2020 एवं नकल जमाबन्दी संख्या 2024 के मुताबिक उक्त सभी गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी संख्या 2012–15 के मुताबिक आ.ख.नं. 878/5.4 बीघा पर मंगला पुत्र हुकमी कौम चमार सा. देह मौरूसी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी हाल संख्या 2071–74 के मुताबिक विवादित हाल आ.ख.नं. 1338/0.12, 1340/0.66 किता 2 कुल रकबा 0.78 है. बाके ग्राम गोलपुरा के वादीगण संख्या 1 भूरीसिंह 1/10 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 2 लगा. 7 हिस्सा 1/10 के गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है।

वादीगण के पिता एवं बाबा का कब्जा काश्त सं. 2011 से लगातार चला आ रहा है। पूर्व में बाबा मंगला बल्द हुकमी मौरूसी दर्ज रिकार्ड है। इसके बाद मंगला के पुत्र सोहनलाल, सोनी, ताराचन्द, बाबूलाल, रामफल, दुलीचन्द गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड रहे हैं। इस प्रकार वादीगण के बाबा एवं पिता सम्बत् 2011 से लगातार मौरूसी एवं गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड रहे हैं। इस संदर्भ में अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2017 (1) पृष्ठ 63 के अनुसार धारा 15 AAA आरटी. एक्ट. 1955 संवत् 2012 के रिकार्ड में मौरूसी दर्ज को खातेदार अधिकार प्रदान करती है। इसलिए वादीगण विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

के 1/5 हिस्सा पर गैरखातेदारी के इन्द्राज को कलमजन करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या : 2 –** प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 7 मुताबिक आदेश दिनांक 24.06.2019 से वादी एवं प्रतिवादीगण के हक एक समान होने के कारण उनको दावा में वादीगण संख्या 2 लगा. 7 स्थापित किया गया है। तनकी संख्या 1 में इसकी विस्तृत विवेचना हो चुकी है। वादीगण 1 लगा. 7 गैरखातेदारी के इन्द्राज को कलमजन करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

**दादरसी –** तनकी संख्या 1 व 2 वाहक वादीगण निर्णित की गई हैं। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दावा वादीगण प्रमाणित है। अतः दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

## अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। आ.ख.नं. 1339/0.12, 1340/0.66 किता 2 कुल रकबा 0.78 है. बाके ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर के 1/10 हिस्सा पर वादी सं. 1 एवं 1/10 हिस्सा पर वादी सं. 2 लगा. 7 को संयुक्त रूप से वहिस्सा बराबर गैर खातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

नियमानुसार अंकन करें। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 10 फरवरी 2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर